भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3467
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन

3467 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है, जिसमें टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर में कमी शामिल है, तथा टीबी के बोझ और उपचार की सफलता संबंधी राज्य- वार आंकड़े क्या हैं;
(ख) नि-क्षय मित्र पहल के कार्यान्वयन की स्थिति, नामांकित लाभार्थियों की संख्या क्या है और समुदाय एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) पिछले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत कितना वित्तीय आवंटन और व्यय किया गया; और
(घ) आकांक्षी जिलों में परीक्षण सुविधाओं की स्थापना और मोबाइल स्क्रीनिंग इकाइयों की शुरुआत सहित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में टीबी जांच और निदान में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) लागू करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में टीबी की घटना दर में 17.7% की गिरावट आई है जो वर्ष 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से वर्ष 2023 में 195 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है, जबकि टीबी से होने वाली मौतें वर्ष 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से 21.4% घटकर वर्ष 2023 में 22 प्रति लाख जनसंख्या पर आ गई हैं। वर्ष 2023 और 2024 में संसूचित और सफलतापूर्वक उपचारित टीबी मामलों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): नि-क्षय मित्र पहल के अंतर्गत, स्थापना के बाद से 2,90,887 नि-क्षय मित्र पंजीकृत किए गए हैं और दिनांक 24 मार्च, 2025 तक 11.93 लाख टीबी रोगियों को 28.17 लाख फूड बास्केट वितरित किए गए हैं। समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों द्वारा विशेष जागरूकता कार्यकलाप शुरू किया गया और जनता को शिक्षित करने और नि-क्षय मित्र पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने

के लिए जनभागीदारी के माध्यम से गहन सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) कार्यकलाप आयोजित की गईं।

(ग): पिछले पांच वर्षों के लिए एनटीईपी के अंतर्गत वित्तीय आवंटन और व्यय अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): एनटीईपी के तहत, जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रावधान लागू किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- टीबी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (टीबी इकाइयां) - जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 1, जबकि सामान्य आबादी पर प्रत्येक 2 लाख की आबादी पर 1 है।
- टीबी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (टीबी इकाइयां)- 1 लाख की सामान्य आबादी पर 1 से लेकर जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 50000 पर 1 है।
- जनजातीय /पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों को मरीज और उनके परिचारक की यात्रा लागत को कवर करने के लिए 750 रुपये (एक बार) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, एनटीईपी के अंतर्गत देश की समस्त आबादी (जनजातीय, ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों सहित) में टीबी से निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी बोझ वाले क्षेत्रों में लक्षित अंतक्षेप।
- टीबी रोगियों को मुफ्त दवाओं और निदान का प्रावधान।
- दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयों के माध्यम से कमजोर आबादी के बीच टीबी के मामलों की गहन खोज।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में टीबी स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण।
- टीबी मामलों की सूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- टीबी के शीघ्र निदान की सुविधा के लिए सभी ब्लॉकों में आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- उपचार की पूरी अवधि के दौरान पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी 1,000 रुपये प्रति माह की निक्षय पोषण योजना।
- कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) अंत:क्षेप।
- टीबी रोगियों और कमजोर आबादी के संपर्कों को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से सूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और घरेलू संपर्कों को अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।

दिनांक 01/04/2025 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक -I

वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में राज्यवार संसूचित टीबी रोगी और सफलतापूर्वक उपचारित टी.बी. रोगी			
	2023		2024*
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसूचित टीबी रोगी	जिनका सफलतापूर्वक उपचार किया गया	संसूचित टीबी रोगी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	488	369	533
आंध्र प्रदेश	86033	82215	81804
अरुणाचल प्रदेश	2606	1948	2939
असम	50180	44878	49389
बिहार	184706	155580	203853
चंडीगढ़	3912	3050	4108
छत्तीसगढ़	37473	33401	38957
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	822	725	790
दिल्ली	82426	64098	90281
गोवा	1823	1376	1973
गुजरात	133898	122604	129465
हरियाणा	75745	66862	83673
हिमाचल प्रदेश	15399	13577	15621
जम्मू और कश्मीर	11382	9808	11964
झारखंड	60592	54623	63913
कर्नाटक	74493	65094	74135
केरल	20558	17117	20214
लद्दाख	328	257	318
लक्षद्वीप	13	12	14
मध्य प्रदेश	178884	156839	177525
महाराष्ट्र	205909	182758	214670
मणिपुर	2522	1813	2561
मेघालय	4493	3840	4318
मिजोरम	2115	1541	2163
नागालैंड	4192	3278	4009
ओडिशा	60766	56259	59483
पुदुचेरी	1507	1156	1355
पंजाब	56264	46305	60456
राजस्थान	159302	141911	168059
सिक्किम	1189	973	1169
तमिलनाडु	92945	82468	91318
तेलंगाना	72100	66459	74711
त्रिपुरा	3425	2758	3422
उत्तर प्रदेश	613851	566490	670590
उत्तराखंड	25674	23113	28382
पश्चिम बंगाल	97535	84928	97332
* उपचार का परिणाम 2025 में आएगा			

दिनांक 01/04/2025 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के लिए एनटीईपी के अंतर्गत वित्तीय आवंटन और व्यय		
वित्तीय वर्ष	**आवंटन (करोड़ रुपये में)**	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
2020-21	3109.93	3097.98
2021-22	3409.94	2086.82
2022-23	1666.33*	910.83
2023-24	1888.82*	1179.68
2024-25#	2090.53*	2757.44
* वर्ष 2022-23 से आगे के आवंटन और व्यय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद अनुदान शामिल नहीं है, जिसे एनएचएम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे एक सामान्य पूल यानी आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जा रहा है जिसमें टीबी भी शामिल है। # दिनांक 24.03.2025 तक व्यय		

*****